258 24 सीपीएसई के बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों का ग्रेड और वेतनमान

अधोहस्ताक्षरित को निर्देशित किया जाता है कि वे डीपीई ओ.एम., दिनांकः 26.11.2008 के परिशिष्ट–I में निहित तथ्यों का पालन करें जिसमें 2007 के वेतन संशोधन में विभिन्न श्रेणियों और सम्बन्धित वेतनमान उपलब्ध कराया गया है। इस विभाग के संज्ञान में यह आया है कि डीपीई ओ.एम., दिनांकः 26.11.2008 और 02.04.2009 के उल्लंघन में कुछ सीपीएसई ने ऊँचे या विभिन्न वेतनमानों को अपनाया है; ना कि 2007 के वेतन संशोधन के अंतर्गत निर्धारित।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि सीपीएसई के बोर्ड स्तर के कार्यकारियों से नीचे के कर्मचारियों को सीपीएसई में ई0 से ई9 तक के विशिष्ट श्रेणियों में आवश्यक रूप से रखा जाना है जो उनके सीपीएसई के सूची पर निर्भर करता है। सीपीएसई अपने कार्यशैली की आवश्यकता एवं उसके लिए बनाये गये नियमों के अनुसार, प्रत्येक श्रेणी के लिए कार्यकारियों को भर्ती करने के लिए स्वतन्त्र हैं। तथापि, प्रत्येक सीपीएसई डीपीई दिशानिर्देशों में उपलब्ध कराये गये 10 श्रेणियों तक ही (ई0 से ई9 तक) कार्यकारियों को स्वीकृत एवं भर्ती कर सकता है। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी कारणवश यह ईओ श्रेणी है तो सम्बन्धित वेतनमान रू. 12,600–62,000/– होना चाहिए। श्रेणी और सम्बन्धित वेतनमान को सीपीएसई द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इन श्रेणियों के लिए उपयुक्त नामावली का प्रयोग, सीपीएसई के मानक पद्धति के अनुसार किया जा सकता है।

3. इसके अतिरिक्त, डीपीई का.ज्ञा., दिनांकः 26.11.2008 एवं 02.04.2009 के अन्तर्गत, किसी भी मध्यम श्रेणी की अनुमति नहीं दी गई है। साधारणतः, पदोन्नति एक श्रेणी से अगले उच्च श्रेणी में होता है; उसके अनुकूल वेतनमान के साथ, सम्बन्धित सीपीएसई के उच्चीकरण नीति के अनुसार। एक सीपीएसई अपने कार्यकारियों को उसी श्रेणी के अन्दर उच्चीकृत करने के लिए एक श्रेणी (जैसे कि ई8 वेतनमान में डीजीएम और जीएम) में एक वेतनमान से अधिक नहीं रख सकता।

4. प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अपने नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को उनकी सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए उपयुक्त अनुदेश जारी करे।

(डीपीई का. ज्ञा. **2(12)/2009/डीपीई(डब्ल्यूसी), दिनांक 24 दिसम्बर, 2012)**

*****